क्र० सं०	जिला	संख्या
7.	चित्तौड़गढ़	1
8.	बांसवाड़ा	7
9.	डूंगरपुर	6
10.	जयपुर	17
11.	जोधपुर	कुछ नहीं
12.	जैसलमेर	कुछ नहीं
13.	झुनझुनु	2
14.	झालावाड	32
15.	कोटा	20
16.	नागौर	3
17.	पाली	8
18.	सीकर	6
19.	सिरोही	10
20.	जालौर	3
21.	श्रीगंगानगर	13
22.	सवाईमाधोपुर	20
23.	टोंक	1
24.	बूंदी	कुछ नहीं
25.	उदयपुर	14
26.	भरतपुर	27
	कुल योग	242

Starting of Metallurgical Engineering in Andhra University

6624. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to start Metallurgical Engineering facilities in Andhra University in view of the coming up of Steel Plant; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No, Sir. The Government is not considering any proposal to start Metallurgical Engineering facilities in Andhra University.

(b) As such the question of details does not arise.

आई० आई० टी० कानपुर के चेयरमन द्वारा राशि दिया जाना

6625. **श्री डूंगर सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० कानपुर के चेयमैन ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना संस्थान के एक कर्मचारी को सेवा से निकाल दिया गया था, एक लाख रुपये दिए थे ; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उस राशि पर लगने वाला आयकर उसमे से कम कर दिया गया था अथवा आयकर विभाग को दे दिया गया था, यदि नही, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवैध कार्यवाही के लिए जिम्मेदार चेयरमैन से उपरोक्त राशि, उस पर देय आयकर सहित वसूल करने का है; और

(घ) यदि नही, तो श्री थापर के निजी खाते से इस राशि को तत्काल वसूल करने तथा उसे आई० आई० टी०, कानपुर मे जमा करने के आदेश देने में विलम्ब के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विवरण संलगन है ।

विवरण

1. संस्थान के श्री जे० एल० उपाध्याय नामक एक कर्मच री को संस्थान द्वारा 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था । एक मामले में शामिल होने के कारण श्री उपाध्याय की सेवाएं 1962 में समाप्त कर दी गई थी । श्री उपाध्याय ने अपनी सेवा समाप्ति को कानपुर सिविल

कोर्ट में चुनौती दी थी। क्योंकि यह मामला काफी देर तक अनिर्णीत पड़ा रहा अत: बोर्ड ने अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में श्री उप - ध्याय से कानूनी दृष्टि से बात करने के लिये प्राधिकृत किया था। मामले के कानूनी राय तथा तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि श्री उपाध्याय के सभी दावों को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से निपटाने के लिये उन्हें 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। बोर्ड ने अप्रैल, 1979 में हुई अपनी बैठक में इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी।

2. संस्थान द्वारा आयकर की कोई कटौती नहीं की गई है। संस्थान ने इस भुगतान के बारे में कानपुर क्षेत्र के आयकर अधिकारी को अप्रैल, 1979 में सूचित कर दिया था। इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा करना अपेक्षित था।

3. शासी बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय पर संस्थान द्वारा श्री उपाध्याय को भुगतान किया गया था। शासी बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्णय शासी बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अधीन लिया गया था। इसके अलावा अध्यक्ष ने यह निर्णय उन्हें दी गई कानूनी सलाह के आधार पर लिया था।

Assistance given to Cooperative Credit Institutions

6627. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether assistance is being given to cooperative credit institutions in under-developed States;

(b) the assistance given during 1979-80; and

(c) the States to which assistance was given?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The assistance provided under the Central Sector Plan Scheme to cooperative credit institutions in the cooperatively under-developed States and tribal areas during 1979-80 is as under:

(Rs. in lakhs)

Sl.No.	Name of the State	Amount
1.	Bihar	213.00
2.	Madhya Pradesh	10.73
3.	Orissa	45.385
4.	Rajasthan	53.585
5.	Tripura	2.35
6.	West Bengal	24.95
	Total	350.00

In addition, the National Cooperative Development Corporation has also provided financial assistance to the cooperative credit institutions in the under-developed States during 1979-80 to the extent of Rs. 194.761 lakhs for purpose of construction of storage godowns and Rs. 94.980 lakhs for distribution of consumer articles in the